

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: _____ : राष्ट्रीय आवास बैंक



सीमित निविदा आमंत्रित करने की सूचना

आरएफपी संदर्भ सं.: -

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) -

रा.आ.बैंक के बॉण्ड जारी करने के संबंध में डिबेंचर ट्रस्टी की नियुक्ति

संसाधन संग्रहण एवं प्रबंधन विभाग
प्रधान कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर 5-ए, तीसरी मंजिल, भारत पर्यावस केंद्र, लोधी रोड,
नई दिल्ली - 110 003
फोन: 011-
ईमेल:

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: _____ : राष्ट्रीय आवास बैंक

1. महत्वपूर्ण बोली विवरण		
1.	बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों की बिक्री प्रारंभ करने की तिथि	21 दिसंबर, 2021 को शाम 04:30 बजे
2.	बोली दस्तावेजों की बिक्री हेतु अंतिम तिथि एवं समय	29 दिसंबर, 2021 दोपहर 3:30 बजे
3.	बोली दस्तावेज प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	29 दिसंबर, 2021 दोपहर 3:30 बजे
4.	तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय	29 दिसंबर, 2021 शाम 5:00 बजे
5.	बोलियां खोलने का स्थान	राष्ट्रीय आवास बैंक, संसाधन संग्रहण एवं प्रबंधन विभाग प्रधान कार्यालय कोर 5-ए, तीसरी मंजिल, भारत पर्यावस केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
6.	संपर्क विवरण: :	ईमेल: : bonds@nhb.org.in टेलीफोन: 01139187155
अधिक जानकारी हेतु कृपया रा.आ.बैंक की वेबसाइट www.nhb.org.in देखें		

नोट: -

• बोलियों को उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोला जाएगा जो उपरोक्त में भाग लेना चाहेंगे। उपरोक्त अनुसूची परिवर्तन के अधीन है। किसी भी परिवर्तन की सूचना केवल नामित संपर्क कर्मियों से ई-मेल या रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित करने पर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, कृपया ध्यान दें कि बोली खोलने की तिथि, समय और स्थान बाद की तारीख में तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को सूचित की जाएगी।

• इस आरएफपी के साथ दस्तावेजी साक्ष्य/कंपनी के माध्यम से प्रस्तुत सभी डाटा/सूचना को रिपोर्ट किया जाएगा एवं इस आरएफपी के प्रकाशन की तारीख को माना जाएगा।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: _____ : राष्ट्रीय आवास बैंक

2. राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), भारत सरकार के तहत एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (“अधिनियम”) के तहत की गई है।

क. राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु की गई है:

- आबादी के सभी वर्गों की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना
- आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों की निगरानी करना।
- आवास हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतित करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्ति कर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रोत्साहित करना।

ख. रा.आ.बैंक का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है एवं क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता में है। इसके क्षेत्रीय प्रतिनिधि कार्यालय अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ, चेन्नई और गुवाहाटी में हैं।

3. प्रयोजन: रा.आ.बैंक के बॉण्ड जारी करने के संबंध में डिबेंचर ट्रस्टी की नियुक्ति।

4. कार्य क्षेत्र:

वर्ष के दौरान सभी रा.आ.बैंक बॉण्ड जारी करने के लिए सेबी विनियमों एवं कंपनी अधिनियम के प्रासंगिक खंडों के अनुसार डिबेंचर ट्रस्टी के रूप में कार्य करना। डिबेंचर ट्रस्टी को उक्त बॉण्ड के मोचन तक सभी गतिविधियों को निष्पादित करने की आवश्यकता होगी।

5. अनुबंध की अवधि:

प्रारंभ में, ट्रस्टी की नियुक्ति नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष के लिए की जाएगी, जिसे वार्षिक आधार पर ट्रस्टी के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के पश्चात अधिकतम तीन वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। उद्धृत राशि वर्ष के दौरान जारी किए गए सभी बॉण्ड की संपूर्ण परिपक्वता अवधि के लिए वैध रहेगी। यदि रा.आ.बैंक कई श्रृंखला में बॉण्ड जारी करने का निर्णय लेता है, तो डिबेंचर ट्रस्टी को प्रत्येक किश्त हेतु सभी गतिविधियों को निष्पादित करने की आवश्यकता होगी। रा.आ.बैंक के पास डिबेंचर ट्रस्टी को एक माह का नोटिस देने के पश्चात अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार है।

टिप्पणी:

यह आरएफपी ऐसे कार्यों, गतिविधियों, उत्तरदायित्वों और सेवाओं के वर्णन करने में परिपूर्ण नहीं है जिसके लिए ट्रस्टी जिम्मेदार होगा। बोलीदाता, इस निविदा की भागीदारी से, अप्रत्यक्ष रूप से इसकी पुष्टि करता है कि यदि कोई भी कार्य, गतिविधियां, उत्तरदायित्व या सेवाएं जो विशेष रूप से इस आरएफपी में वर्णित नहीं हैं, या विशेष रूप से वर्णित हैं लेकिन विनियामक/सांविधिक बदलावों के कारण उपयुक्त बदलाव/ संशोधन करने पड़ेंगे तथा संविदा के उचित निष्पादन हेतु रा.आ.बैंक द्वारा आवश्यक या उपयुक्त संदर्भित किए गए हैं, ऐसे कार्य, गतिविधियां, उत्तरदायित्व या सेवाएं (लागू बदलाव के साथ, यदि कोई हो) अंतर्निहित और इस आरएफपी के सेवा क्षेत्र तहत समाविष्ट समझा जाएगा और बोलीदाता का प्रत्युत्तर उस सीमा तक तथा उसी प्रकार का होगा जैसा कि इस आरएफपी और बोलीदाता के प्रत्युत्तर में विशेष रूप से बताया गया है।

6. बोली का प्रारूप तथा हस्ताक्षर

एनएचबी डिबेंचर ट्रस्टी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए ट्रस्टीशिप कंपनी द्वारा पूरी की जाने वाली बुनियादी आवश्यकताएं निम्नानुसार हैं:

- ट्रस्टीशिप सेवा प्रदाता के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव
- न्यूनतम 2 सरकारी संगठनों में सेवा
- ₹15 करोड़ का न्यूनतम कारोबार

वाणिज्यिक बोली अनुबंध-I में निर्धारित प्रारूप में संलग्नक-III में कवरींग पत्र हेतु निर्धारित प्रारूप के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

इच्छुक डिबेंचर ट्रस्टी 29 दिसंबर 2021 को दोपहर 3:30 बजे तक या उससे पहले निम्नलिखित पते पर एनएचबी प्रधान कार्यालय (चौथी मंजिल पर डिस्पैच सेक्शन) में एक मुहरबंद लिफाफे में जिस पर 'एनएचबी बांड जारी करने के लिए डिबेंचर ट्रस्टी की नियुक्ति के लिए कोटेशन' के उद्धरण (अलग से) जमा कर सकते हैं। उल्लिखित तिथि और समय के बाद प्राप्त कोटेशन को बिना किसी संचार के अस्वीकार कर दिया जाएगा।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: _____ : राष्ट्रीय आवास बैंक

मुहरबंद बोलियों को स्पष्ट रूप से "गोपनीय - डिबेंचर ट्रस्टी के लिए कोटेशन" के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए और बोलियों को निम्नांकित को प्रेषित किया जाना चाहिए:

श्री रंजन कुमार बरुन
उप महाप्रबंधक
राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर 5ए, चौथी मंजिल, इंडिया हैबिटेड सेंटर,
लोधी रोड, नई दिल्ली 110 003

वास्तविक बोली पक्की स्याही से टाइप की हुई या लिखित में होनी चाहिए तथा संविदा के बोली लगाने के लिए बाध्य के विधिवत प्राधिकृत बोलीदाता अथवा एक व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए। व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा जो बोली हस्ताक्षर कर रहे हैं, असंशोधित मुद्रित साहित्य के अलावा बोली के सभी पृष्ठों पर संक्षिप्त हस्ताक्षर करेंगे।

ऊपर बताए गए न्यूनतम पात्रता मानदंड को पूरा करने के लिए बोलियों के साथ विधिवत मुहर लगे और हस्ताक्षरित सहायक दस्तावेज होने चाहिए।

7. सामान्य दिशानिर्देश:-

1. सेबी के साथ पंजीकृत संस्थाओं से बोलियां आमंत्रित की जाती हैं एवं एक वैध सेबी पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा पिछले 5 वर्षों के लिए सार्वजनिक/ निजी स्थानन आधार के माध्यम से ऋण प्रस्ताव में डिबेंचर ट्रस्टी के रूप में न्यूनतम निरंतर अनुभव रखते हों।
2. बोलीदाताओं को आरएफपी में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करना है। इस संबंध में, इस आरएफपी के अनुबंध II के अनुसार घोषणा बोली के साथ प्रस्तुत की जानी है।
3. आरएफपी का उत्तर देने वाला प्रत्येक बोलीकर्ता को यह समझा जाएगा कि उसे इस आरएफपी की शर्तें बिना शर्त स्वीकार हैं।
4. बोली में उद्धृत दरों को निविदा खोलने की तिथि से 30 दिनों की अवधि हेतु दृढ़ एवं वैध माना जाएगा।
5. बोलियां स्वीकार नहीं की जाएंगी यदि वे: (क) फैक्स या ईमेल की जाती हैं। (ख) निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त हुई हो (ग) आरएफपी की शर्तों से विचलन एवं सशर्त आर एफ पी को अपूर्ण माना जाएगा।
6. विकास, तैयारी, और प्रत्युत्तरों के प्रस्तुत करने से किसी भी प्रकार से संबद्ध सहित लेकिन जो बैठकों, चर्चाओं, प्रदर्शन, इत्यादि में उपस्थिति तक सीमित न हो और रा.आ. बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना प्रदान करने में बोलीदाताओं द्वारा वहन की गई समस्त लागत एवं व्यय पूरी तरह एवं केवल बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी।
7. बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के अलावा, संविदात्मक करार के निष्पादन तक बोलीदाताओं एवं रा.आ.बैंक में से किसी के भी बीच कोई बाध्यकारी कानूनी संबंध नहीं होंगे। और बोलियों के मूल्यांकन एवं उनको अंतिम रूप देने के एवं सफल बोलीदाता की पहचान के पश्चात सत्यनिष्ठा समझौता सफल बोलीदाता द्वारा निश्चित समझौता के भाग हेतु होगा। अन्य बोलीदाताओं के

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: _____ : राष्ट्रीय आवास बैंक

लिए, संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता प्रस्तुत बोली के संबंध में कथोक्त संविदा पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के उल्लंघन में बोलीदाता द्वारा किए गए किसी कार्य/चूक हेतु उन पर बाध्य होगा।

8. प्रत्येक बोलीदाता यह मानेगा एवं स्वीकार करेगा कि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर पात्र ट्रस्टी (यों) को छांटने/चयन करने में प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट चयन मानदंड अपना सकता है।
9. राष्ट्रीय आवास बैंक को आरएफपी का उत्तर देने वाला प्रत्येक बोलीदाता को यह समझा जाएगा कि उसे इस आरएफपी एवं अस्वीकरण की शर्तें स्वीकार हैं।
10. बोलीदाता से अपेक्षित है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क सूत्र को भेजें:

राज कुमार नेगी,
प्रबंधक
संसाधन संग्रहण एवं प्रबंधन विभाग (आरएमएमडी)
प्रधान कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर 5-ए, तीसरी मंजिल, इंडिया हैबिटेड सेंटर, लोधी रोड,
नई दिल्ली - 110 003
दूरभाष: +911139187155

11. रा.आ. बैंक अपने संपूर्ण विवेक पर आरएफपी के बंद होने के पश्चात किसी भी बोलीदाता से कोई अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है और दी जाने वाले ऐसी सभी सूचना और सामग्री बोलीदाता के प्रत्युत्तर का भाग होनी चाहिए।
12. यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरएफपी हेतु प्रत्युत्तर तुरंत सूचित किया जाए, बोलीदाताओं को अपने संपर्क व्यक्ति, टेलीफोन, ई-मेल एवं पूरे पते का विवरण देना चाहिए।
13. यदि रा.आ. बैंक अपने संपूर्ण विवेक पर यह पाए कि प्रश्न के प्रत्युत्तर से प्रश्न के प्रणेता को लाभ होगा तो रा.आ. बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह ऐसे प्रत्युत्तर को सभी बोलीदाताओं को सूचित करें।
14. यदि कोई पूछताछ/स्पष्टीकरण हो तो सोमवार से शुक्रवार, सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर प्रातः 10.00 से सायं 06.00 बजे के बीच बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा से पूर्व ऊपर दिये गए संपर्क व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं।
15. बोलीदाता को भारत में किसी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ बैंक/वित्तीय संस्थान के द्वारा बोली प्रक्रिया में भाग लेने से ब्लैकलिस्ट/रोका न गया हो।
16. राष्ट्रीय आवास बैंक सभी चयनित बोलीदाताओं को अपने आरएफपी के परिणाम के बारे में लिखित में या मेल द्वारा या अपने वेबसाइट पर प्रकाशित कर सूचित करेगा। राष्ट्रीय आवास बैंक किसी भी स्वीकार या अस्वीकार हेतु कोई कारण प्रदान करने हेतु बाध्य नहीं है।
17. रा.आ. बैंक के पास निम्नलिखित अधिकार है:
(क) बिना कोई कारण बताए किसी या सभी बोलियों को रद्द/स्वीकार/अस्वीकार कर सकता है।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: _____ : राष्ट्रीय आवास बैंक

- (ख) एक से अधिक L1 बोलीदाता होने की स्थिति में समझौता वार्ता के बाद सबसे कम बोली निर्धारित कर सकता है।
- (ग) एक से अधिक L1 बोलीदाता होने की स्थिति में इसके आंतरिक मानदंड के आधार पर डिबेंचर ट्रस्टी का चयन कर सकता है।
- (घ) इसके अलावा सबसे कम बोलीदाता के साथ ट्रस्टी शुल्क पर समझौता वार्ता कर सकता है।
- (ङ) बिना कोई कारण बताए बॉण्ड जारी करने की मात्रा कम या बढ़ा सकता है।
- (च) प्रासंगिक दस्तावेजों के लिए बोलीदाता को बुला सकता है क्योंकि यह प्रमाणीकरण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझता है।
- (छ) बिना कोई कारण बताए बोलियों के लिए संकेतित समय सारिणी में संशोधन कर सकता है।

18. एनएचबी मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रतिक्रिया को सुधारने या स्पष्टीकरण के लिए किसी भी बोलीदाता (या एक साथ एक से अधिक बोलीदाताओं के साथ) के साथ चर्चा या समझौता वार्ता कर सकता है।

19. रा.आ.बैंक के पास यह अधिकार है कि यदि उचित समझा जाए तो वह संविदा देने से पहले किसी भी समय पूरी निविदा प्रक्रिया को रद्द कर सकता है।

संलग्नकों के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:

www.nhb.org.in – What's New

***किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।**

XXXXXXXXXXXX